

कार्यालय : सचिव/अपर सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।

पत्रांक : 56/प्र0अ0(भवन)/Revision/2017-18

दिनांक : 19/08/2017

कार्यालय-आदेश

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शमन/प्रस्तावित मानचित्रों की स्वीकृति में लिये जा रहे शुल्को को कार्ट इण्डेक्स के आधार पर अद्यावधिक किये जाने का प्राविधान है। विगत वित्तीय वर्ष में शमन/प्रस्तावित मानचित्रों की स्वीकृति में लिये जा रहे शुल्क उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदनादेश दिनांक 18-08-2017 के क्रम में निम्नवत् अद्यावधिक किया जाता है :-

| क्रमांक | मद का नाम | निर्धारित स्वीकृत दर (रु० प्रति वर्गमी. 2016-17 में) | प्रस्तावित दर (रु० प्रति वर्गमी. 2017-18 में) |
|---------|--------------------------------|--|---|
| 1. | विकास शुल्क | 1100/- | 1,145.00/- |
| 2. | नगर विकास शुल्क (CDC) | 220/- | 230.00/-- |
| 3. | मलवा (स्टेकिंग) | 38/- | 40.00/- |
| 4. | पर्यवेक्षण | 17/- | 20.00/- |
| 5. | निर्मित क्षेत्र का विकास शुल्क | 110/- | 115.00/- |
| 6. | शमन उपविधि | 1.80 गुणा | 1.90 गुणा |
| 7. | परमिट शुल्क | 4.70 गुणा | 4.9 गुणा |
| 8. | जल शुल्क | रु० 8000.00 | 8,315.00/- बेसमेन्ट एवं भूतल पर 2% एवं ऊपरी तलों पर 1% उदगृहीत किया जायेगा। |

उक्तानुसार शुल्क दिनांक 01 सितम्बर, 2017 से प्रभावी होंगे।

(गुडाकेश शर्मा)
सचिव/अपर सचिव

पत्रांक : (1)/प्र0अ0(भवन)/Revision/2017-18 तददिनांक :
प्रतिलिपि :-

1. उपाध्यक्ष, इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद को सादर अवलोकनार्थ।
2. नगर नियोजक, इ0वि0प्रा0 इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, इ0वि0प्रा0, इलाहाबाद।
4. समस्त जोनल अधिकारी/प्रभारी अधिकारी(त0स0-1 & 2)।
5. प्रभारी अधिकारी-स्पीड प्वाइंट।
6. समस्त सम्बन्धित को अनुपालनार्थ।
7. गार्ड फाईल।

सचिव/अपर सचिव